9/10/19 – वकील वादी व पैरो० उप०। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत थी। आदेश नहीं सुनाया गया। पत्रावली वास्ते पुन: बहस दि० 4/12/19 को पेश हो।

4/12/19- वकील वादी व पैरो० उप०। वकील वादी ने बहस करना जाहिर किया। वकील वादी की बहस को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 9/12/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

9/12/19 वकील वादी व पैरो० उप०। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत थी। आदेश सुनाया गया। वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर सत्यनारायण पुत्र रतनलाल के स्थान पर लालाराम पुत्र रतनलाल व सीतादेवी पत्नी सत्यनारायण के स्थान पर सीतादेवी पत्नी लालाराम दर्ज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी - श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद-पत्र संख्या : 39 / 2017

रजूजु दिनांक : 26 / 04 / 2017

निर्णय दिनांक : 09/12/19

1. लालाराम पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी मालियों की ढाणी तन मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. श्रीमती सीता देवी धर्मपत्नी लालाराम, जाति माली निवासी मालियों की ढाणी तन मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

-- वादीगण

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादी

**वाद-पत्र बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज**
(अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0)

उपस्थिति - श्री कन्हैयालाल माली
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 9/12/19

## -: निर्णय :-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के आराजी खतौनी संख्या 375 के आराजी खसरा नम्बर 3080 रकबा 0.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3081 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3083 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3084 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3085 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3086 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3087 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3088 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3091 रकबा 1.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3092 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3094 रकबा

Scanned by CamScanner

3.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3096 रकबा 0.8100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3103 रकबा 1.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3104 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3105 रकबा 0.8900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3106 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3115 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3319 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3323 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3324 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3325 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3327 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3328 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3329 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3330 रकबा 0.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3331 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3332 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3334 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बंर 3335 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3336 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, कुल किता 30 कुल रकबा 17.5700 हैक्टेयर वाके ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित हैं जिस पर वादी मौके पर काबिज काश्त है लगान सरकारी अदा करता आ रहा है। एवं खाता संख्या 717 के आराजी खसरा नम्बर 3076 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.2800 हैक्टेयर वाके ग्राम मोजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर मे स्थित है जिस पर वादी की धर्मपत्नि सीतादेवी अपने मुताबिक हिस्सेअनुसार खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजीयात के आराजी खतौनी संख्या 375 वादी की पैतृक सम्पति रही है जो वादी को जरिये विरासत रतनलाल की मृत्यू उपरान्त दर्ज हुई परन्तु घर पर सत्यनारायण नाम पुकारा जाने के कारण वरवक्त विरासत नामांतकरण वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र रतनलाल दर्ज हो गया जो सहवन से तथा घर पर पुकारा जाने वाला नाम सत्यनारायण होने के कारण उक्त राजस्व अभिलेखों मे हुई त्रुटी दुरूस्तनीय है इसी अनुसार खाता संख्या 717 वादी के धर्मपत्नि के नाम कयशुदा आराजीयात थी जिसमें भी वादी का नाम सत्यनारायण अंकित कर दिया गया जिसमे भी लालाराम दर्ज होना चाहिये था तथा उक्त दोनो खातों में वादी का लालाराम की बजाय सत्यनारायण दर्ज चला आ रहा है। वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज में यथा राशनकार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड में भी वादी का नाम लालाराम ही दर्ज है तथा लालाराम एवं सत्यनारायण दोनो एक ही व्यक्ति है परन्तु दस्तावेजात सरकारी में लालाराम दर्ज होने के कारण वादी को अपनी कृषि आराजी भूमि के संदर्भ मे मिलने वाले लाभ एवं परिलाभो से उक्त हुई त्रुटी के कारण वंचित होना पड रहा है। वादी एक काश्तकारी एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है तथा अपने राजस्व रिकार्ड में अंकन हुई त्रुटी के बाबत किसी प्रकार की

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मूंडू

Scanned by CamScanner

कार्यवाही पूर्व मे नही की गई परन्तु हाल ही में दिनांक 17/04/2017 को किसान कार्ड के लिए नकले लेने पर सम्बंधित पटवार हल्का से सम्पर्क किया तत्पश्चात वादी द्वारा उक्त हुई त्रुटी के अंकन मे दुरूस्ती बाबत तहसीलदार महोदय से सम्पर्क किया गया तो तहसीलदार महोदय द्वारा इंकार कर माननीय न्यायालय में चाराजोही की हिदायत दी गई इस कारण वादी को वाद घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिमी हुआ है।

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादी के दर्ज नाम सत्यनारायण को हजफ किया जाकर लालाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे तथा इस बाबत तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। दिनांक 06/02/2018 को प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने दस्तावेज सूची किता–1 पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी।

दिनांक 27/06/2018 वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनो प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये गये। वाद–पत्र में लाल स्याही से वांछित संशोधन किया गया। वकील वादीगण साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 375, नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 717, नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 721, नकल नामान्तरकरण संख्या 1750, नकल नामान्तरकरण संख्या 3401, नकल नामान्तरकरण संख्या 3543, नकल मिलान क्षैत्रफल, फोटो प्रति राशनकार्ड, फोटो प्रति पहचान–पत्र, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

इत्यादि एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत से 2071 से 2074 में वादी का नाम सत्यनारायण पि. रतनलाल व वादी की पत्नी सीतादेवी पत्नी सत्यनारायण दर्ज है, जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राशनकार्ड, पहचान–पत्र, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में वादी संख्या 1 का नाम लालाराम दर्ज है, जिससे यह पाया जाता है कि वादी संख्या 1 का सही नाम लालाराम है, लेकिन बोल चाल की भाषा व घर पर सत्यनारायण पुकारने से उक्त राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 375 की आराजी जो वादी को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुयी है, उसमें वादी का नाम सत्यनारायण दर्ज कर दिया गया है तथा खाता संख्या 717 की आराजी जो वादी की पत्नी की क्रयशुदा आराजी है, उसमें भी वरवक्त क्रय वादी की पत्नी के आगे वादी का नाम सत्यनारायण अंकित कर दिया गया है, जो मात्र एक आम बोलचाल की भाषा में व लिपिकीय त्रुटि से हुआ है, इस बाबत तहसीलदार मौजमाबाद ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी सत्यनारायण के स्थान पर लालाराम दर्ज करने बाबत अनुशंषा की हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर दुरूस्ती इन्द्राज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 375 की आराजी खसरा नम्बर 3080, 3081, 3083, 3085, 3086, 3087, 3088, 3091, 3092, 3094, 3096, 3103, 3104, 3105, 3106, 3115, 3319, 3323, 3324, 3325, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3334, 3335, 3336 कुल किता 30 कुल रकबा 17.5700 हैक्टेयर व खाता संख्या 717 के आराजी खसरा नम्बर 3076 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.2800 हैक्टेयर वाके ग्राम मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद में दर्ज खातेदार सत्यनारायण पुत्र रतनलाल के स्थान पर लालाराम पुत्र रतनलाल व सीतादेवी पत्नी सत्यनारायण के स्थान पर सीतादेवी पत्नी लालाराम दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर राज0।

मुद्रा

Scanned by CamScanner

(औ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम दूदू (जयपुर)

इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत

[illegible] पुत्र रतनलाल, [illegible] मुद्दआलेह तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद (जयपुर)

[illegible] बाबत [illegible] इन्द्राज

[illegible] मुकदमा नं. 39 सन 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल पेश होकर रूबरू श्री कन्हैयालाल माली

मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी की ओर से पैरवी उप.

मिनजानिब मुद्दआलेह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

प्रतिवाद पत्र वाद डिक्री किया जाकर तादादी आराजी खसरा नं० 375 की आराजी नं० 3080, 3081, 3083, 3085, 3086, 3087, 3088, 3091 लगायत 3093, 3094, 3096 [illegible] 03, 3104, 3105, 3106, 3115, 3319, 3323, 3324, 3325, 3327, 3328, 3329, 3330, 31, 3332, 3334, 3335, 3336 कुल किता 30 कुल रकबा 17.5700 हे० व खाता नं० 7 के आराजी ख० नं० 3076 रकबा 0.2800 हे० कुल किता 01 कुल रकबा 0.2800 हे०

[illegible] मुतालिग [illegible] बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ........ फीसदी ........ आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक ........ को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 12 सन 2019 को

जारी की गई।

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक क..... (फास्ट ट्रैक, ..)

मुहर [stamp: सहायक कलक्टर]

| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुद्दायलह | रुपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प पजाह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

Scanned by CamScanner